प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के इस प्रतिवेदन में 2015–16 से 2020–21 (अक्टूबर 2022 तक अद्यतन) की अवधि को आच्छादित करते हुए 'उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) से पूर्व एवं पश्चात् विद्युत वितरण कम्पनियों के प्रदर्शन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम निहित हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गयी है।